न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : ओ.पी. बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 03/2015 (अपील नामा.)
RCMS NO : 2015/00031

अनवान

1. श्री राम सिंह पिता विजय सिंह राजपूत, निवासी भानपुरा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर

—अपीलान्ट

बनाम

1. श्री चन्द्रशेखर सिंह पिता गंभीरसिंह राजपूत, निवासी भानपुरा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
2. श्रीमती किशोर कंवर बेवा गंभीरसिंह राजपूत निवासी भानपुरा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
3. श्री पूराराम पिता राजाराम भील, निवासी भानपुरा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर

— रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित

1. श्री संजय बोहरा, अधिवक्ता अपीलान्ट।

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
अपील विरूद्ध प्र. सं. 5/2012 न्यायालय तहसीलदार गोगुन्दा आदेश दिनांक 28.12.2012

* निर्णय *

दिनांक — 31-01-2020

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने इस न्यायालय में अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि मौजा भानपुरा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर में आराजी संख्या 1844, 1845, 1942, 1974, 2030 से 2034 कुल किता 09 रकबा 0.5100 हेक्टेयर भूमि स्थित है। यह भूमि अपीलान्ट के खातेदारी भूमि के मध्य स्थित हो अपीलान्ट ने क्रय की थी। उस जमीन के पडोसो के मध्य विवादग्रस्त जमीन स्थित है, जिस पर अपीलान्ट का कब्जा हो वही इसका उपयोग एवं उपभोग कर रहा है। इस जमीन का रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से कोई सम्बन्ध नही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने उक्त जमीन को क्रय करना बताया परन्तु यह विक्रय धारा 54 टी.पी. एक्ट के अनुसार विक्रय की परिभाषा में नही आता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने उक्त जमीन का विक्रय अपने नाम पर बता कर कब्जा नही होने से कब्जेयाबी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश किया, जबकि धारा 183 काश्ताकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र सहायक कलक्टर के यहा पर ही लाई होता है, परन्तु बाद में इस प्रार्थना पत्र को 183—बी का बताकर तहसीलदार का निर्णयाधिकार होना बताकर निर्णय पारित कर दिया गया, जबकि धारा 183—बी का कोई प्रोपर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही हुआ था। अपीलान्ट को जबाव शहादत पेश करने का कोई अवसर नही दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी रिपोर्ट के आधार पर रामसिंह का कब्जा काश्त होना

बताया एवं आराजी संख्या 2031 में कुआ खुदा हुआ होकर आराजी संख्या 2030, 2032 एवं 2034 में काश्त होना बताया व अन्य आराजीयात में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का कब्जा होना बताया। मामले में एक तरफा कार्यवाही की जाकर जमाबन्दी अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के नाम विवादग्रस्त जमीन दर्ज होना बताया, इसी आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की खातेदारी भूमि से अपीलान्ट को बेदखल कर कब्जा सुपुर्द करने का आदेश दे दिया। कथित जमीन पर अपीलान्ट का 50 वर्षो से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है एवं धारा 183–बी का प्रार्थना पत्र केवल 12 वर्षो तक ही लाई होता है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओ श्री प्रभुलाल श्रीमाली अधिवक्ता द्वारा वकालात पत्र प्रस्तुत कर जवाब हेतु समय चाहा। मामले में रेस्पोडेन्ट्स को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूर जवाब अप्राप्त रहने से जवाब विपक्षीगण बंद किया गया। मामले में अधिनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गयी। मामले में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त पत्रावली न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर में भिजवाई जाना एवं न्यायालय जिला कलक्टर में उक्त पत्रावली तलाश कराने पर भी प्राप्त न होने से प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति के आधार पर अपीलान्ट अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गयी।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को अपीलान्ट अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से कोई उपस्थित न होने से प्रकरण में अपीलान्ट अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गयी। अपीलान्ट अधिवक्ता ने बहस प्रारम्भ करते हुये अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के दोहराते हुये अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधि विरूद्ध होना बताते हुये निरस्त करने की मांग की।

हमनें अपीलान्ट अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध अपीलान्ट के अपील, अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रति, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो आदि का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गम्भीरता से मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली से ज्ञात होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 श्री पुराराम पिता राजाराम भील, निवासी भानपुरा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 एवं अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया कि मौजा भानपुरा में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की खातेदारी भूमि की आराजी संख्या 2030 रकबा 0.0700 हेक्टेयर, 2031 रकबा 0.0050 हेक्टेयर, 2032 रकबा 0.0150 हेक्टेयर, 2033 रकबा 0.0850 हेक्टेयर, 2034 रकबा 0.0450 हेक्टेयर कुल किता 5 रकबा 0.2200 हेक्टेयर भूमि पर अपीलान्ट श्री राम सिंह पिता विजय सिंह राजपूत एवं आराजी संख्या 1844 रकबा 0.0900 हेक्टेयर, 1845 रकबा 0.1100 हेक्टेयर, 1942 रकबा 0.0100 हेक्टेयर कुल किता 3 रकबा 0.2100 हेक्टेयर कृषि भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा

कब्जा करने से बेदखल करने की मांग की। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का से जांच कराने पर रिपोर्ट तलब करने के उपरान्त प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर जवाब हेतु अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब अप्राप्त रहने से एक तरफा सुनवाई की जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की खातेदारी भूमि से कब्जेधारियों को बेदखल करने का आदेश पारित किया है। मामले में अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि क्रय किये जाने का उल्लेख किया है एवं भूमि अपीलान्ट के खातेदारी भूमि के मध्य स्थित होना बताया है, किन्तु इसकी पुष्टि स्परूप कोई दस्तावेजी साक्ष्य या अन्य को राजस्व अभिलेख प्रस्तुत करने में अपीलान्ट अधिवक्ता असफल रहे है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत होना पाया जाने से इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गोगुन्दा, जिला उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्यास 5/2012 में पारित निर्णय दिनांक 28.12.2012 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.02.03 13:54:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: